देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

–: अधिसूचना :–

अधिसूचना संख्या ..123..../भू अ० दिनांक : 22/01/2020

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–सरसकुण्डा, थाना–सारवां, थाना सं०–399, अंचल–सोनारायठाढ़ी, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा **मुरचुरा मोड़ (एन०एच० 114ए पर)–छतरा–बगडबरा–कोल्हड़िया–सोनराडीह (एम०डी०आर०–224 पर) पथ पर पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–सरसकुण्डा, थाना–सारवां थाना सं०–399, अंचल–सोनारायठाढ़ी, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.91** एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :–

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	8	11	बाड़ी–2	0.02	अनमत कुमारी मिसराईन, जौजे ठाकुर मिसरी वो अलाजी कुमारी मिसराईन जौजे विपीन मिसीर, कौम–ब्राहम्ण सा० देह (ज0 रै0)	पोड़इयां नं०–397	बघडबरा नं०–274	अर्जित–खेसरा का शेष भाग	उपर बघडबरा नं०–398
2	2	9	12	धानी–2	0.02	तथैव।				
3	2	40	19	बाड़ी–2	0.03	तथैव।				
4	5	130	1	बाड़ी–2	0.04	सोहन मियाँ, पे०–पीतु मियाँ कॉम–मौमीन, सा० बधडबरा।(ज०रै०)				
5	5	129	3	बाड़ी–2	0.03	करीम मियाँ वल्द रहमली मियाँ कॉम–मौमीन, बघडबरा (ज० रै०)				
6	12	127	4	बाड़ी–2	0.07	देवेन्द्र मिश्रा वो अनिल मिश्रा, पे० परमेश्वरी मिश्रा वो राजीव रंजन मिश्रा वो सोमनाथ मिश्रा, पिता–लक्ष्मी नारायण मिश्रा वो तुलसी मिश्रा वो मुकुन्द मुखी मिश्रा, पे० ब्रम्हानन्द मिश्रा वो रेणुका देवी, पति सदानन्द मिश्रा वो अभिषेक कु० मिश्रा, पे० सदानन्द मिश्रा वो नागेश्वर मिश्रा, पे० गोपीनाथ मिश्रा। सा० असहना				
7	12	52	21	बाड़ी–2	0.015	तथैव।				
8	12	54	23	बाड़ी–2	0.005	तथैव।				
9	12	3	6	बाड़ी–2	0.21	वरूण मिश्र वो तरूण मिश्र वो बच्चन मिश्र, पे० कपिल मिश्र वो नन्द किशोर मिश्र, पे० सहदेव मिश्र। सा० असहना				
10	12	32	17	बाड़ी–2	0.02	तथैव।				
11	12	56	24	बाड़ी–2	0.05	तथैव।				
12	15	5	10	बाड़ी–2	0.24	जीया महतो, पे० बिहारी महतो, ज० रै० वो सौरीफ महतो, माता– गिरनी महतवाईन, पे० रामू महतो ज०रै० सा० देह।				

13	15	23	16	धानी–3	0.03	तथैव।				
14	19	126	8	बाड़ी–2	0.025	मंगर महतो बल्द पांचु महतो कॉम– ग्वाला, सा० उपर बगडबरा (ज०रै०)				
15	20/क	6	9	बाड़ी–2	0.03	अविनाश मिश्र, पे० सुरेश मिश्र ज०रै० सा० देह।				
16	20/क	33	18	बाड़ी–2	0.01	तथैव।				
17	21	2	5	बाड़ी–2	0.05	सत्यम स्वरूप वो स्नेहम स्वरूप (नाबालिक) पे० अनंत कु०मिश्र वो गुजंन मिश्र, पति अनंत कु० मिश्र वो शिवम कु० मिश्र वो सुन्दरम मिश्र (नाबालिक) पे० बसंत कुमार मिश्र वो अनिता देवी, पति बसंत कु० मिश्र वो हेमन्त कुमार, पे० शंभुनाथ मिश्र वो मदननाथ मिश्र पे० भागवत मिश्र, वो रविन्द्र नाथ मिश्र, पे० दुर्गा प्र० मिश्र वो मानकेश्वर मिश्र, पे० बलभद्र प्र० मिश्र वो ज्योतिनाथ मिश्र वो मोहन प्र० मिश्र वो सचिदानन्द मिश्र, पे० नारायण चन्द्र मिश्र वो हीरालाल मिश्र वो मोतीलाल मिश्र वो राज किशोर मिश्र वो श्यामल किशोर मिश्र, पे० अम्बिका प्र० मिश्र वो कंठी मिसीर, पे० लालमन मिसीर,(ज०रै०) वो छोटी कुमारी जौजे कोदो मिसीर (ज०रै०) सा० देह।				
18	21	53	22	बाड़ी–2	0.015	तथैव।				
				कुल रकवा–	**0.91**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

6/1/2020
जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

8-01-2020
अपर समाहर्त्ता
देवघर

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

E:\2015 L.A.(B.K.)\All Project for Road\Murchura to Sonrathari\Notification\Dumariya (SJ).docx

ज्ञापांक 123 / भू अ०, देवघर, दिनांक 22/01/2020
प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सारवां को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

16/1/2020
जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर
16/1/20

18-01-2020
अपर समाहर्त्ता
देवघर

16/1/2020
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।